M P AGRO
एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल–462003
- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

वर्ष 2024–25 एवं आगे के लिये
फल पौधों (कलमी एवं बीजू) के प्रदाय हेतु
रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर

दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 12.08.2024

अपरान्ह 2.00 तक

प्रबंधक (उद्यान)

M P AGRO
एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल–462003
- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / नर्सरी फलपौध / उद्यान / 2024–25 / भोपाल, दिनांक .....

अल्पकालीन

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ) सूचना

निगम द्वारा वर्ष 2024–25 एवं आगे की अवधि में **नर्सरी फलपौध (कलमी एवं बीजू)** के प्रदाय हेतु आर.सी.ओ. में निर्दिष्ट अहर्ताएं पूर्ण करने वाले नर्सरीधारकों से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक **13.08.2024 अपरान्ह 2.00** बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in तथा निगम की वेबसाईट http://mpagro.org पर उपलब्ध है, दस्तावेज www.mptenders.gov.in से ही डाउनलोड किए जा सकेंगे तथा इसी वेबसाईट पर अपलोड किए जाना हैं। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में कोई संशोधन / परिवर्तन किये जाने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल / वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।

प्रबंधक (उद्यान)

M P AGRO
एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल–462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

फल पौधों (कलमी एवं बीजू) के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ.)

क्रमांक	विवरण	परिशिष्ठ क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	डिस्क्लेमर	परिशिष्ठ 1	5
2	कार्य के अवसर	परिशिष्ठ 1	5
3	ऑफरकर्ता को निर्देश	परिशिष्ठ 1	5
4	आरसीओ प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण	परिशिष्ठ 1	6
5	ऑफर की सामान्य शर्ते	परिशिष्ठ 2	7–12
6	तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है	परिशिष्ठ 3	13
7	सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं पौधों के मापदण्ड	परिशिष्ठ 4	14–17
8	ऑफरकर्ता की अहर्ता के संबंध में	परिशिष्ठ 5	18
9	ऑफरकर्ता द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप (राशि रू. 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)	परिशिष्ठ 6 एवं 6 (अ)	19–20
10	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु सहमति/घोषणा पत्र (राशि रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)	परिशिष्ठ 7	21
11	ऑफरकर्ता का विस्तृत विवरण	परिशिष्ठ 8	22
12	नर्सरी पर उपलब्ध पौधें का विवरण	परिशिष्ठ 8 अ	23
12	वित्तीय ऑफर का प्रारूप (आन लाईन पोर्टल पर ही प्रस्तुत किया जाना है)	परिशिष्ठ 9	24–27

M P AGRO
एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल–462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

रेट कान्ट्रेक्ट आफर में विभिन्न स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका तात्पर्य निम्नानुसार है:–

निगम	दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. पंचानन भवन, तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
कयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता	विभाग जिनके द्वारा सामग्री कय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।
आवेदक/आफरकर्ता	उत्पादक जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रकिया में भाग लिया गया हो
नर्सरी धारक	जिनकी स्वयं की नर्सरी हो
प्रदायक	ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा निगम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो
संकल्प धनराशि (ई.एम.डी)	आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रकिया में भाग लेने हेतु जमा की गई राशि
धरोहर राशि	आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा किये गये प्रदाय के विरूद्ध निगम में जमा संकल्प धनराशि (ई एम डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, तथा अनुबंध अवधि में निगम के पास धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगी।
विभाग	विभाग का आशय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य को शासकीय विभागों से है
प्रबंध संचालक	प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है
क्षेत्रीय प्रबंधक	निगम के संभागवार (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रबंधक
जिला प्रबंधक/ शाखा प्रबंधक	निगम के जिला (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित जिला कार्यालयों के जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक

M P AGRO
एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल–462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

परिशिष्ट 1

1. अस्वीकारणीय (Disclaimer)

यद्यपि इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पूर्ण है, इस बात की संतुष्टी आफरकर्ता स्वयं कर लेवें। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तो के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वह दिनांक 15.06.2024 को सायं 5 बजे तक ई–मेल के माध्यम से mpagrohobpl@gmail.com पर भेजी जाए। प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर निगम में आयोजित प्रिबिड़ मिटिंग में समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा लिए गए निर्णय www.mptenders.gov.in एवं http://mpagro.org पर अपलोड किये जाएगें।

प्रीबिड मिंटिंग के पश्चात् प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर के समस्त नियमों एवं शर्तो तथा अपलोड किए गए समिति के निर्णय से सहमत होकर आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किया गया है ।

2. कार्य के अवसर :

यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में स्थित विकासखण्ड में आदान सामग्री का प्रदाय निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने वाली आदान सामग्रियों की दर निर्धारित करने हेतु यह रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किया गया है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वांछित सामग्रियों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है, किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नही है। ऑफरकर्ताओं को प्रदाय आदेश में वर्णित सामग्रियों का प्रदाय, केता विभाग द्वारा निर्दिष्ट व आदेश में उल्लेखित स्थल तक एवं "**निर्धारित समय सीमा**" में करना आवश्यक होगा ।

3. आफरकर्ता को निर्देश :

3.1 रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र www.mptenders.gov.in वेबसाईट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ताओं से अनुरोध है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ एंव इसमे वर्णित शर्तो को सावधानीपूर्वक अध्ययन करे। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में दिये गये निर्देशानुसार ही ऑफर को वेबसाईट पर अपलोड करे। निगम द्वारा आनलाईन प्राप्त आफर को ही मान्य किया जावेगा। साथ आरसीओ के सभी अनिवार्य दस्तावेजों, जो आरसीओ प्रपत्र में कहीं भी उल्लेखित हैं, को अनिवार्य रूप से स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

3.2 रेट कान्ट्रेट ऑफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी.पी.आई के रिजोल्यूशन में जे.पी.ई जी अथवा पी.डी.एफ फार्मेट में अपलोड करे। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो ऐसे ऑफरकर्ता के प्रस्ताव को मान्य नहीं किया जाएगा।

3.3 आवेदक द्वारा वेबसाईट से डाउनलोड किये गये आर.सी.ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है। हस्ताक्षरित अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्केन कापी को निर्देशानुसार आवेदक को अनुबंध के समय हार्ड कापी में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3.4 सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेटवर्क आदि की समस्याओं के कारण आर.सी.ओ प्रस्तुत करने से वंचित न हों ।

3.5 आरसीओ द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रपत्र शुल्क एवं संकल्प धनराशि ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3.6 आरसीओ के वित्तीय प्रपत्र के अनुसार ऑनलाइन दरें प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक एवं समय तक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।

3.7 सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएगें।

3.8 प्रदायक द्वारा एम.पी.एग्रो में अनुबंधित होने के उपरांत विभाग के एम.पी.एफ.एस.टी.एस. पोर्टल पर क्रय आदेश प्राप्ति दिनांक, सामग्री प्रदायगी की दिनांक, देयक प्रस्तुती दिनांक, भुगतान प्राप्ति की दिनांक आदि जानकारी अपलोड की जावेगी।

नोटः– ऐसे ऑफरकर्ताओं के ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिनके साथ निगम का प्रदायगी नहीं किये जाने या सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में या गंभीर न्यायालयीन प्रकरण या अपराधिक प्रकरण लंबित/प्रचलित है।

4. आरसीओ प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण :

रेट कान्ट्रेक्ट आफर ई टेन्डिरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किये गये है तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रकिया निम्नानुसार है :

ऑनलाइन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य GST सहित	राशि रू 5,900.00
आन लाईन निविदा पत्र का क्रय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 12.8.2024 को अपरान्ह 1.55 बजे तक
संकल्प धन राशि (EMD)	100000/– (एक लाख मात्र)
ऑनलाइन निविदा वेबसाईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय सीमा	दिनांक 13.08.2024 अपरान्ह 2.00 बजे तक
आरसीओ में सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 05.08.2024 सायं 5.00 बजे
प्री–बिड मीटिंग	दिनांक 06.08.2024 अपरान्ह 3.00 बजे एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लि. पंचानन भवन तृतीय तल मालवीय नगर भोपाल में महाप्रबंधक (लेखा) के कक्ष में होगी ।
प्री–बिड मीटिंग में प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति के निर्णय की जानकारी अपलोड किये जाने की तिथि	दिनांक 06.08.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक
ऑनलाइन तकनीकि निविदा के खोले जाने की निर्धारित तिथि एवं समय (ऑनलाइन अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की स्थिति में ऑफर को मान्य नही किया जाएगा)	दिनांक 13.08.2024 अपरान्ह 3.00 बजे तक
उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाना	सूचना निगम की वेबसाईट www.mpagro.org एंव www.mptenders.gov.in पर दी जाएगी।

नोट– उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की website www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। ऑफरकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त आर.सी.ओ. के संदर्भ में बेवसाईट को समय–समय पर देखकर प्रकाशित होने वाले संशोधनों/सूचनाओं से अवगत हों।

M P AGRO
एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल–462003
- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

परिशिष्ट 2

ऑफर की सामान्य शर्ते

वर्ष 2024–25 एवं आगे की अवधि में आरसीओ के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाली सामग्रियों के प्रदाय हेतु निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ऑफरकर्ताओं से रेट कांट्रेक्ट किये जाने हेतु दरें आमंत्रित की जाती है। दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर लागू रहेंगी।

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर से संबंधित सामान्य शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1. **ऑफर प्रस्तुत करने की अहर्ता**

   प्रदाय के लिये ऑफरकर्ता की आर्हताएं **परिशिष्ट कमांक 3** अनुसार रहेंगी।

2. **आर.सी.ओ प्रपत्र का कय**– रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य (वापसी योग्य नही) व निर्धारित तिथियों का विवरण आरसीओ प्रपत्र में उल्लेखित है तथा निर्धारित राशि का ऑनलाइन भुगतान कर ऑफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाईट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

3. **प्री–बिड मीटिंग**– रेट कांट्रेक्ट आफर के अनुसार उल्लेखित तिथि में निगम मुख्यालय में विभागाध्यक्ष (उद्यान) के कक्ष में आयोजित होगी। संभावित निविदाकार रेट कांट्रेक्ट के संबंध में अपनी आपत्तियाँ/सुझाव नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत कर सकते है। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदानुसार आवश्यकता अनुसार संशोधन प्रपत्र में किये जा सकेंगे जो रेट कांट्रेक्ट प्रपत्र का हिस्सा कहलाएंगे। प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री–बिड मीटिंग के उपरांत रेट कांट्रेक्ट आफर की शर्तों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगीं, अतः यह आवश्यक है कि संभावित ऑफरकर्ता आर. सी.ओ. प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली–भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिति न रहे ।

4. **ऑफर प्रस्तुत करने की प्रकिया**

   (4.1) वेबसाईट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित कर ऑफर के साथ अपलोड करते हुए निर्धारित समय एवं तिथि तक ऑनलाइन प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी।

   (4.2) एक ऑफरकर्ता से एक ही ऑफर स्वीकार किया जाएगा।

   (4.3) **वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाईट पर अपलोड किये जायेंगे ।**

   (4.4) सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट– निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जावेगी। सशर्त ऑफर को अमान्य किया जावेगा ।

   (4.5) **स्टार्टअप के लिए प्रावधान–**

   भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 22 के अनुसार मध्यप्रदेश के स्टार्टअप को अनुभव टर्नओवर जैसी समस्त संबंधित योग्यताओं में छूट दी जायेगी। छूट की पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

   (4.6) **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अद्यमियों के लिए प्रावधान–**
   भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 23.1 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला स्वमित्व वाले अद्यमियों **को** पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(4.7) **सूक्ष्म और लघु उद्यमों स्टार्टअप के लिए प्रावधान–**

मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों एवं स्टार्टअप के लिए भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) की कंडिका क्रमांक 14.1 के अनुसार ईएमडी में छूट दी जायेगी।

भण्डार क्रय नियम 2015 की कंडिका कमांक 25.3 के अनुसार RCO फार्म की फीस में छूट दी जायेगी।

पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. **दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त एंव दर वैधता**

5.1 ऑफरकर्ता द्वारा प्रदाय हेतु दर परिशिष्ट कमांक 9 अनुसार दी जाना आवश्यक है।

5.2 ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी, वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी ।

5.3 ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की **शर्त कमांक 21** के तहत् न्यूनतम होना आवश्यक है ।

5.4 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत **अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। दरों की वैद्यता को** निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, **बढाया जा सकता है।**

5.5 ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर की दशा में दोनो में से न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा ।

6. **सेंपल प्रस्तुत किये जाना :**

सेम्पल प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर आफरकर्ता की नर्सरी का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा सेम्पल लिये जा सकेगे।

आर सी ओ में वांछित दस्तावेज आनलाईन प्रस्तुत नही किये जाने दशा मे आफर अमान्य किया जाएगा।

7. **संकल्प धन राशि (EMD) :**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि रू. 1,00,000.00 ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संकल्प धनराशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को मान्य नहीं किया जायेगा। पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नही किया जाएगा।

8. **संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना**

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

8.1 निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।

8.2 ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।

8.3 आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।

8.4 निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

9. **धरोहर राशि :**

(अ) आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।

(ब) अनुबंध की प्रभावशीलता **अवधि समाप्त होने के बाद** कोई विवाद न होनें की दशा में आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।

(स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

(1) निगम आदेश के विरूद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर ।

(2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मांपदण्डों के अनुरूप न होनें की दशा में

(3) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करनें पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

(4) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

10. ऑफर की वैधता :

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 90 दिवस तक मान्य रहेंगे। अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो ।

11. रेट कान्ट्रेक्ट आफर का खोला जाना

11.1 नियत तिथी तक प्राप्त ऑनलाइन ऑफर के तकनीकी प्रस्ताव निगम उपर्युक्त वर्णित (परिशिष्ठ क्रं. 1) तिथि एवं समय पर खोले जावेगें।

11.2 आफर के खोले जाने की तिथि में परिवर्तन होने की दशा में निगम द्वारा इसकी सूचना का प्रकाशन निगम की बेबसाईट पर किया जावेगा।

11.3 परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये आफर्स के वित्तीय प्रस्तावों को खोलने की दिनांक निगम की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।

11.4 ऑफरकर्ताओं के अथवा उनके प्रतिनिधि आफर खोले जाते समय नियत स्थान पर उपस्थित हो सकते है।

11.5 रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

12. अनुबंध का निष्पादन–

(1) जिन ऑफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन ऑफरकर्ताओं द्वारा प्रतिप्रस्तावित दर को मान्य किया गया है, को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क. 6 एवं 6 (अ)) के अनुसार राशि रूपये 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित एवं नोटराइज कर कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है।

(2) आफरकर्ता(ओं) जिनके द्वारा प्रस्तुत दरों को निगम द्वारा स्वीकार किया गया है । ऐसे ऑफरकर्ताओं द्वारा अधिकतम 07 दिवस में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित कर कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा ऐसे ऑफरकर्ताओं की जमा संकल्प धनराशि को निगम जप्त कर सकेगा।

(3) रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। दरों की वैद्यता को निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, बढाया जा सकता है।

(4) निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात ऑफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा।

(5) अनुबंध के समय समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ ऑफरकर्ता उपस्थित होंवे।

13. दरें स्वीकार की जाना :

13.1 सामान्यतः आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में प्राप्त न्यूनतम दर को स्वीकार किया जाएगा।

13.2 प्राप्त दरों पर साधारणतः किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः ऑफरकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे निगम स्तर पर निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ता को दें। प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

13.3 निगम के प्रबंध संचालक को अधिकार होगा कि वे प्राप्त न्यूनतम दर से अधिकतम 15 प्रतिशत की सीमा में दर आफर करने वाले योग्य पाये गये आफरकर्ताओं को निर्धारित दरों का प्रतिप्रस्ताव दें। प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

14. प्रदाय की प्रकिया –

(1) परिशिष्ट कं.–4 में वर्णित अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश जारी किये जाएगें । प्रदाय आदेश में वर्णित निर्धारित अवधि में तथा आदेशित मात्रा के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की सामग्री का प्रदाय, प्रदायक द्वारा किया जाना आवश्यक है।

(2) वांछित मात्रा में पैकिंग का कार्य केता विभाग/संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

(3) सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उपयोगकर्ता अर्थात अंतिम उपभोक्ता को हुये नुकसान की नियमानुसार भरपाई भी प्रदायक द्वारा की जावेगी।

15. बिना आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नही किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नही होगा।

16. <u>सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रकिया, समय सीमा एवं शास्ति (पेनाल्टी)</u>

(1) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण बताये जाने पर यह समय–सीमा घटाई भी जा सकती है ।

(2) आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

(3) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी।

कं	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए अनुबंध को निरस्त किये जाने एवं निगम के माध्यम से आगामी 1 से 5 वर्षों तक व्यवसाय हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर बंधनकारी रहेगा।

17. आदेश की प्रकिया :

(1) विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश परिशिष्ट कमांक 4 में उल्लेखानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

(2) सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी। सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा सीधे विभाग को नही किया जाएगा।

(3) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में केता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी तथा प्रदायक द्वारा परिवर्तित आदेश/सूचना के अनुसार आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नही किया जावेगा । निगम द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर सामग्री गंतव्य स्थल पर पहुँचानी होगी।

(4) परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी।

18. **कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :**

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड, पैकिग, संख्या, मात्रा एवं समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :–

(1) उचित/निर्धारित पैकिग न होने की दशा में ।

(2) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में ।

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो इसकी सूचना प्रदायक को निगम द्वारा पत्र/दूरभाष/ई मेल के माध्यम से दी जाएगी तथा प्रदायक को स्वयं के व्यय पर निर्धारित समय सीमा में वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नही रहेगा ।

19. **भुगतान :**

निगम द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार निगम मुख्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने की दशा में मुख्यालय /निगम के संबंधित जिला कार्यालयों से निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :–

(1) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार केता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त) के आधार पर प्राप्त होने एवं देयक की पूर्ण राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 7 दिवस में किया जावेगा ।

(2) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों की संयुक्त हस्ताक्षयुक्त) प्राप्त होने पर किया जावेगा।

(3) यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है व प्रदायित सामग्री के संर्दभ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है व निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा।

20. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपकम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेगें।

21. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली–भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तो पर सहमत है।

22. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तो के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकारी होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 1 से 5 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है । इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

23. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा नियमानुसार समय–सीमा में कार्यवाही की जाना होगी।

24. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य–दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन/नर्सरी का निरीक्षण कर सकेगे।

25. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के विभागाध्यक्ष (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

26 यदि न्यायालयीन आदेश से निगम के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त किसी अन्य को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे नियुक्त ऑर्बीट्रेटर की समस्त फीस ऑफरकर्ता/प्रदायकर्ता द्वारा वहन की जाएगी ।

27. निगम के प्रबंध संचालक को रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अनुबंध निष्पादन के पूर्व एवं पश्चात् अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रबन्धक (उद्यान)

तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है

कमांक	विवरण
1	जिस राज्य में नर्सरी है उस राज्य में लागू नर्सरी एक्ट के अन्तर्गत नर्सरी के वैध पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रति।
3	**काजू पौधों हेतु–** नर्सरी एक्ट के अन्तर्गत नर्सरी के वैध पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रति व नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड द्वारा स्टार रेटेड नर्सरी के वैध पंजीयन की स्व प्रमाणित प्रति तथा काजू और कोको विकास निदेशालय द्वारा जारी नर्सरी प्रत्यायन प्रमाण पत्र
4	रोपणी की विस्तृत जानकारी (प्रत्येक नर्सरी हेतु अलग अलग जानकारी प्रजातिवार मातृवक्षों की संख्या सहित प्रस्तुत की जाए)
5	नर्सरी में उपलब्ध पौधों का विवरण एवं संख्या की स्व प्रमाणित प्रति जो रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा सकेगें
6	आफरकर्ता फर्म का स्थाई लेखा संख्या (PAN) तथा GSTN
7	धरोहर राशि आन लाईन राशि जमा करना– परिशिष्ट कमांक 5 में उल्लेखानुसार
8	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट 11 के अनुसार राशि रू 500/.. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग
9	आफरकर्ता डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आर सी ओ के समस्त प्रपत्र आनलाईन प्रस्तुत किया जाना है (पृष्ठ कं. 1 से 23 तक तथा परिशिष्ट 2 से 8 (अ) तक)
10	स्टार्टअप,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला स्वमित्व वाले उद्यमियों **को** पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

वित्तीय आफर –

परिशिष्ट कमांक 9 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर अलग से वेबसाईट पर ही आनलाईन प्रस्तुत किया जाना है इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की जाना है ।

परिशिष्ठ कमांक 4

सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी की जानकारी

इस आर सी ओं के अन्तर्गत निम्नानुसार फल पौध वांछित है :

1. **फल पौध (वनस्पतिक प्रवर्तित)**

	फलपौध (ग्राफ्टेड/कटिंग/बडिंग)	वांछित प्रजाति
1.	संतरा ग्राफटेड/(बडेड) बन्डल/पालीथिन	नागपुरी, किन्नो
2	मौसम्बी ग्राफटेड/(बडेड) बन्डल/पालीथिन	न्यूसेलर, पूना
3.	अनार (गूटी)	गणेश, अरक्ता, भगवा
4	चीकू (ग्राफ्टेड)	कालीपत्ती, पी.के.एम.1, सी.ओ.1, सीओ.2, क्रिकेट बॉल,
5	बेर (बडेड)	उमरान, बनारसी, गोला, एप्पल
6	नीबू (गूटी)/बडेड	कागजी, सीडलेस,
7	अंगूर (गूटी/कंटिंग)	पूसा सीडलेस, थामसन सीडलेस, गणेश, चेम्पियन, ब्लेकग्रफ
8	आंवला ग्राफटेड/(बडेड)	कंचन, चकैया, नरेन्द्र सीरीज, कृष्णा
9	आम (ग्राफ्टेड)	दशहरा, लंगडा, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका, बाम्बे ग्रीन, केसर, हिमसागर
10	अमरूद (ग्राफ्टेड/बडेड)	एल–49, इलाहबादी सफेदा, ललित, श्वेता, सरदार, थाई ग्वावा
11	सीताफल (ग्राफ्टेड)	बालानगर
12	कटहल (ग्राफ्टेड)	रूद्राक्ष
13	काजू	बी 4 एवं बी 7
14	अंजीर कटिंग	
15	ड्रेगन फ्रुट कटिंग	
16	पेशन फ्रुट कटिंग	
17	करोंदा	
18	हनुमान फल (ग्राफ्टेड)	
19	बेल	
20	स्ट्राबेरी पौधा 9" से 12 "	
21	नाशपाती ग्राफटेड/बडेड	
22	अंगूर ग्राफटेड/बडेड	
23	स्ट्राबेरी कटिंग	

सामग्री के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :

1. **कलमी/बीजू पौधों के मापदण्ड**

क्रं.	पौध	निर्धारित मापदण्ड
1	संतरा ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित यथा संभव आदेश में उल्लेखित अनुसार रंगपुर लाइम, जम्बेरी रूट स्टाक पर ग्राफ्ट किया हुआ होना चाहिये । पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 3 फिट होना चाहिये । पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये । ग्राफट यूनियन का निचला भाग साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये । पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
2	मौसम्बी (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित यथा संभव आदेश में उल्लेखित अनुसार रंगपुर लाइम रूट स्टाक पर ग्राफ्ट किया हुआ होना चाहिये । पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 3 फिट होना चाहिये । पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये । ग्राफट यूनियन का निचला भाग साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
3	अनार (गुटी)	पौधा बीमारी रहित 1 से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । गूटी पद्धिति तैयार किया गया पौधा मान्य है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
4	चीकू (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित एवं न्यूनतम 4 से 6 इंच ऊंचाई से ग्राफटिंग किया हुआ होना चाहिये । रूट स्टाक की अधिकतम मोटाई 1 से 3 से.मी. परिधि की होनी चाहिये । ग्राफट के ऊपर 1 से 2½ फिट शाखा रहित ऊंचाई आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये।
5	बेर (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित एवं न्यूनतम 4 से 6 इंच ऊंचाई से ग्राफटिंग किया हुआ होना चाहिये । रूट स्टाक की अधिकतम मोटाई 2 से 3 से.मी. परिधि की होनी चाहिये । ग्राफ्ट के ऊपर 1 से 2½ फिट शाखा रहित ऊंचाई आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
6	नीबू (कागजी) (गूटी)	पौधा बीमारी रहित रंगपुर लाइम रूट स्टाक पर ग्राफ्ट किया हुआ होना चाहिये । पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1 से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये । पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
7	अंगूर (कटिंग)	बीमारी रहित 9 से 10 इंच लम्बाई की कटिंग उसमें पत्तियों सहित होना आवश्यक है । बीजू पौधा भी मान्य है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
8	आंवला ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 2 से 3½ फिट होना चाहिये । बड यूनियन से सायन की उचाई 15 से 20 से मी एवं बड यूनियन से 10 से मी की उंचाई पर तना का औसत व्यास 1.00 से 1.25 से मी के मध्य होना अनिवार्य होगा । बड यूनियन का निचला भाग साइड सूट से मुक्त होना चाहिये । पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
9	आम ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 2 से 3½ फिट होना चाहिये । बड यूनियन से सायन की उचाई 15 से 20 से मी एवं बड यूनियन से 10 से मी की उंचाई पर तना का औसत व्यास 1.00 से 1.25 से मी के मध्य होना अनिवार्य होगा । बड यूनियन के निचले भाग में साइड सूट से मुक्त होना चाहिये । पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 6x8 इंच होना चाहिये ।

10	अमरूद ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 2 से 3½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
11	सीताफल (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
12	कटहल (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की ऊंचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
13	काजू	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से ऊंचाई 2 से 3) फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की ऊंचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
14	अंजीर कटिंग	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
15	ड्रेगन फ्रुट कटिंग	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
16	पेशन फ्रुट कटिंग	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
17	हनुमान फल (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
18	नाशपाती ग्राफटेड / बडेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।

19	अंगूर ग्राफटेड/बडेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उुचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
20	स्ट्राबेरी कटिंग	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उुचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
21	करोंदा	पौधा बीमारी रहित 1 से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । गूटी पद्धिति तैयार किया गया पौधा मान्य है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
22	बेल	पौधा बीमारी रहित 1 से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । गूटी पद्धिति तैयार किया गया पौधा मान्य है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।

2. **बीजू पौधे**

01.	करौंदा बीजू	बीमारी रहित बीजू पौधा मान्य है । पौधे की न्यूनतम 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है ।
02.	सीताफल बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5x7 इंच होना चाहिये ।
03.	नीबू बीजू	पोधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये । पॉलीथीन होने की दशा में पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5x7 इंच होना चाहिये ।
04.	अमरूद बीजू	पोधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5x7 इंच होना चाहिये ।
05	सुरजना बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5x7 इंच होना चाहिये
06.	ईमली बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5x7 इंच होना चाहिये
07.	कटहल बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5x7 इंच होना चाहिये
08.	जामुन बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये
09.	पपीता बीजू एवं श्रेष्ठ बीज, हायब्रिड	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5x7 इंच होना चाहिये

2. **आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य राशि रूपये 5,900.00 (रूपए पांच हजार नो सौ मात्र)** '
3. **संकल्प धन राशि – राशि रूपए 1,00,000.00 (रूपए एक लाख मात्र)** '

'कमांक 2 एवं 3 में उल्लेखित राशि आन लाईन जमा करना है।

4. **आदेश जारी करने के लिए अधिकृत** – मुख्यालय।

ऑफरकर्ता की आहर्ता के संबंध में

फल पौध बीजू एवं कलमी

नर्सरी धारक जो निम्नानुसार शर्ते पूरी करता हो, के प्रस्ताव को ही विचार क्षेत्र में रखा जावेगा :–

1. आवेदक की स्वयं की नर्सरी होना आवश्यक है।
2. ऐसे राज्य जहां पर नर्सरी एक्ट लागू है में स्थित नर्सरियों का नर्सरी एक्ट के अन्तर्गत वैध पंजीयन होना आवश्यक है।
3. काजू पौधों हेतु आफर दिये जाने की स्थिती में काजू और कोको विकास निदेशालय द्वारा जारी नर्सरी प्रत्यायन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
4. आफरकर्ता द्वारा एक से अधिक नर्सरियों से फल पौध प्रदाय किये जाने की दशा में सभी नर्सरियों के पंजीयन से संबंधित दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रति
5. आयकर विभाग का पंजीयन **PAN** व **GSTN** होना आवश्यक है ।
6. आफरकर्ता द्वारा जिन कलमी पौधों के दर आफर दिये जा रहे है ऐसे पौधों के पर्याप्त संख्या में मृतवृक्ष ऑफरकर्ता की पंजीकृत नर्सरी में होना आवश्यक है।
7. आफरकर्ता द्वारा जिन ग्राफटेड फल पौधों का आफर दिया जा रहा है की न्यूनतम संख्या 5000 पौधे नर्सरी में उपलब्ध होना आवश्यक है तथा नर्सरी पंजीयन पत्र में फल पौध प्रजाति जिसे विक्रय हेतु प्रवर्धित किया जावेगा का उल्लेख होना आवश्यक है।
8. आफरकर्ता द्वारा जिन बीजू पौधों का आफर दिया जा रहा है कि न्यूनतम संख्या 2500 पौधे नर्सरी में उपलब्ध होना आवश्यक है

नोटः–

ऑफरकर्ता को उपरोक्त बिंदुओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित कर अपलोड करना होगा (विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3 के अनुसार)।

:: अनुबंध ::

(निगम द्वारा ऑफर मान्य करने की दशा में सूचित किए जाने पर राशि रू. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज करवाकर प्रस्तुत किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक ..... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स .... की ओर से श्री ..... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर फल पौधों (ग्राफटेड एवं बीजू) प्रदाय हेतु दिनांक ..... को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) क्रय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तों को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंटस अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा जिन फल पौधों (ग्राफटेड एवं बीजू) के प्रदाय हेतु हमारी दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट 9 पर उल्लेखित है को (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तो अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होगें–

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक .....
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

यदि प्रदायक आरसीओ की शर्तो एवं नियमों का उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा।

उपरोक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

हस्ताक्षर प्रदायक	हस्ताक्षर प्रबंधक (उद्यान)
गवाह :	गवाह :
1.	1.
2.	2.

:: अनुबंध का परिशिष्ट ::

प्रदायक का नाम एवं पता .....

.....

ईमेल .....

मोबाईल नं. . .....

क0	पौधों का नाम	प्रजाति	प्रदाय दर रूपये प्रति नग सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर.विकास खण्ड स्तर (प्रदायगी स्थल) तक पहुंचाकर	
			अंकों में	शब्दों में

प्रदायक के हस्ताक्षर

एवं सील

परिशिष्ट–7

वर्ष 2024–25 एवं आगे की अवधि के लिये निगम के माध्यम से फल पौध (कलमी एवं बीजू पौधे) के प्रदाय हेतु

रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत् सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैं .....मेसर्स .....की ओर से निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । मेसर्स .....द्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तो के अनुसार .... सामग्री के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध में निर्धारित शर्तो एवं मापदण्ड व नियम अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी भी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तो का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो निगम उस हानि की पूर्ति हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये ...../– एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपकम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा न ही कभी हमें प्रदायगी के संबंध में दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

हमारे द्वारा संकल्प धन राशि रूपये ...../– प्रस्तुत की जा रही है, जो ऑफर मान्य होने की दशा में में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तोएवं नियम को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तो एवं नियमों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

(रूपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना है)

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL

DETAILS OF THE OFFERER

1	Name of Individual Offerer State Private or Public Limited / Co-operative Institution.	---------- ----------
2	Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/Person /Chairman/Managing Director	----------
3	PHONE NO. E Mail ID	Office : Mobile : E mail address
4	Particular of the Registration certificate issued	Registration No. Date_____
5	GST Registration number.	
6	**Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).**	
7	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Bank Name of the Branch IFSC Code Bank Account No
8	Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time If the reply is yes, when & why give proper details (use separate sheet, if required).	Yes / No.
9	**Full Name and Address of Nursery**	
10	**Area of Nursery**	
11	**Khasra No**	
12	**Licence Number of Nursery and validity**	

Signature of Offerer

परिशिष्ठ कमांक 8 (अ)

नर्सरी में उपलब्ध पौधों का विवरण

आफरकर्ता द्वारा स्वयं के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जावे

मेरी नर्सरी .....(पूर्ण नाम एवं पता) पर निम्नानुसार पौधें उपलब्ध है, निम्नानुसार पौधे निगम को उपलब्ध करावा सकता हूं

कं	फल पौध	प्रजाति	उपलब्ध मात्र वृक्ष	नर्सरी पर उपलब्ध पौधों की संख्या	पालीथीन में होने की दशा में पालीथीन की साईज	निगम को उपलब्ध कराये जा सकने वाली मात्रा
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

वित्तीय आफर (FANANCIAL OFFER)

NAME OF THE OFFERER ..... परिशिष्ट क्रमांक 9

PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)

Sl. No.	Item Description	VARIETY	Quantity	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	GST AMOUNT	TOTAL AMOUNT Without Taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	13	15	53	54	55
ınts Grafted									
1.01	Mango(Aam) Grafted	Dashari		No					
1.02	Mango(Aam) Grafted	Langra		No					
1.03	Mango(Aam) Grafted	Chounsa		No					
1.04	Mango(Aam) Grafted	Amrpali		No					
1.05	Mango(Aam) Grafted	Mallika		No					
1.06	Mango(Aam) Grafted	Bombay Green		No					
1.07	Mango(Aam) Grafted	Keshar		No					
1.09	Mango(Aam) Grafted	Himsagar		No					
1.10	Mango(Aam) Grafted	Any Other Variety							
1.11	Mango(Aam) Grafted	Any Other Variety							
2.01	Aonla budding	Kanchan		No					
2.02	Aonla budding	Chakkya		No					
2.03	Aonla budding	Krishna		No					
2.04	Aonla budding	Any Other Variety		No					
2.05	Aonla budding	Any Other Variety		No					
2.06	Aonla budding	Any Other Variety							
3.01	Guava (Amrood) Grafted/Budded	L-49		No					
3.02	Guava (Amrood) Grafted/Budded	Allahbadi Safeda		No					
3.03	Guava (Amrood) Grafted/Budded	Lalit		No					

3.04	Guava (Amrood) Grafted/Budded	Sweta		No					
3.05	Guava (Amrood) Grafted/Budded	Sardar		No					
3.06	Guava (Amrood) Grafted/Budded	Thai Guava		No					
3.07	Guava (Amrood) Grafted/Budded	Any Other Variety							
3.08	Guava (Amrood) Grafted/Budded	Any Other Variety							
4.01	Orange (Santara) Baded (in bandal)	Nagpuri		No					
4.02	Orange (Santara) Baded (in bandal)	Keeno		No					
4.03	Orange (Santara) Baded (in bandal)	Any Other Variety		No					
4.04	Orange (Santara) Baded in Polythene	Any Other Variety		No					
4.05	Orange (Santara) Baded in Polythene	Nagpuri		No					
4.06	Orange (Santara) Baded in Polythene	Keeno		No					
4.07	Orange (Santara) Baded in Polythene	Any Other Variety							
4.08	Orange (Santara) Baded in Polythene	Any Other Variety							
5.01	Mausambi Baded in bandal	New Saler		No					
5.02	Mausambi Baded in bandal	Puna		No					
5.03	Mausambi Baded in bandal	Any Other Variety		No					
5.04	Mausambi Baded in Polythene	New Saler		No					
5.05	Mausambi Baded in Polythene	Puna		No					
5.06	Mausambi Baded in Polythene	Any Other Variety		No					
6.01	Strawberry plant in polythene bag 9'' to 112''								
6.02	Strawberry plant without polythene bag								
7.01	Lemon (Nimbu) Gooti(layered)	Kagazi		No					

7.02	Lemon (Nimbu) Gooti(layered)	Seedless		No					
7.03	Lemon (Nimbu) Gooti(layered)	Any Other Variety		No					
8.01	Ber Baded	Umran		No					
8.02	Ber Baded	Banarsi		No					
8.03	Ber Baded	Gola		No					
8.04	Ber Baded	Apple		No					
9.01	Pomegranet(Anar) Gooti/Cutting	Ganesh		No					
9.02	Pomegranet(Anar) Gooti/Cutting	Arakta		No					
9.03	Pomegranet(Anar) Gooti/Cutting	Bhagwa		No					
9.04	Pomegranet(Anar) Gooti/Cutting	Pusa Seedless		No					
10.01	Grape (Angoor) Gooti/Cutting	Thomson Seedless		No					
10.02	Grape (Angoor) Gooti/Cutting	Ganesh		No					
10.03	Grape (Angoor) Gooti/Cutting	Champion		No					
10.04	Grape (Angoor) Gooti/Cutting	Blackgraph		No					
10.05	Grape (Angoor) Gooti/Cutting	Any Other Variety		No					
11.01	Anjir Gooti/ Cutting			No					
12.02	Dragon fruit Gooti/ Cutting			No					
13.01	Passion fruit (Krishna phal) Gooti/ Cutting			No					
14.01	Karonda Gooti/ Cutting			No					
15.01	Bale Gooti/ Cutting			No					
16.01	Hanuman Fruit Grafted by inarching			No					
17.01	Chikoo Graftedby inarching	Kalipatti		No					
17.02	Chikoo Graftedby inarching	PKM-1		No					

17.03	Chikoo Graftedby inarching	CO1		No					
17.04	Chikoo Graftedby inarching	CO2		No					
17.05	Chikoo Graftedby inarching	Cricket Ball		No					
17.06	Chikoo Graftedby inarching	Any Other Variety		No					
18.01	Sitaphal Grafted	Balanagar		No					
18.02	Sitaphal Grafted	Any Other Variety		No					
18.03	Sitaphal Grafted	Any Other Variety		No					
19.01	Jack Fruit (Kathal) Grafted	Rudrakh		No					
19.02	Jack Fruit (Kathal) Grafted	Any Other Variety		No					
19.03	Jack Fruit (Kathal) Grafted	Any Other Variety		No					
20.01	Cashewnut Kaaju	B4		No					
20.02	Cashewnut Kaaju	B7		No					
20.03	Cashewnut Kaaju	Any Other Variety		No					
20.04	Cashewnut Kaaju	Any Other Variety		No					
ज़ू पौधें									
1	Karaunda Beeju			No					
2	Bel Beeju								
3	Seetaphal Beeju			No					
4	Nimboo Beeju			No					
5	Amrud Beeju			No					
6	Surjana Beeju			No					
7	Imali Beeju			No					
8	Kathal Beeju			No					
9	Jaamun Beeju			No					
10	Papita Beeju			No					

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

नोट– उपरोक्त फार्मेट केवल आफरकर्ताओं की प्रर्दशन की सुविधा हेतु संलग्न किया गया है इसमें दरों का उल्लेख नहीं किया जाना है। । वास्तविक रूप से आन लाईन पोर्टल पर प्रदर्शित फार्मेट में दरें प्रस्तुत की जाना आवश्यक है